संख्या:21/2023/919 ई-2/तेरह-2023-400005

प्रेषक,

राकेश कुमार सचान

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 23 मई, 2023

विषयः-मेसर्स डी.बी.ओ.एल. यूनिट असमौली डिवीजन बायो फ्यूल्स एण्ड स्प्रिट्स, सम्भल की स्वीकृत पेय क्षमता 50 लाख लीटर से बढ़ाकर 100 लाख लीटर वार्षिक निर्धारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:जी-15/दो-प्रा.डी.-92/असमौली, दिनांक 24-04-2023 तथा इस सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, आबकारी विभाग, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 18-05-2023 में लिए गए निर्णय सम्बन्धी कार्यवृत्त संख्या:907ई-2/तेरह-2023-400005, दिनांक 19-05-2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 24-04-2023 में आप द्वारा की गयी संस्तुति/प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं आद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश आबकारी (आसवनी की स्थापना) (तेरहवां संशोधन) नियमावली, 2019 एवं उत्तर प्रदेश आबकारी (आसवनी की स्थापना) (पन्द्रहवां संशोधन) नियमावली, 2020 के क्रम में मेसर्स डी.बी.ओ.एल. यूनिट असमौली डिवीजन बायो फ्यूल्स एण्ड स्प्रिट्स, सम्भल की अधिष्ठापित क्षमता 875 लाख लीटर वार्षिक (बी-हैवी शीरे से अल्कोहल उत्पादन की दशा में 1031.75 लाख लीटर वार्षिक) के अन्तर्गत स्वीकृत पेय क्षमता 50 लाख ली. वार्षिक को बढ़ाकर 100 लाख ली. वार्षिक किये जाने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि, आसवनी/इकाई द्वारा निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों का अक्षरशः अनुपालन करते हुये उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा:-

(1) उत्तर प्रदेश आबकारी (आसवनी की स्थापना) (तेरहवां संशोधन) नियमावली, 2019 का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

(2) इकाई द्वारा बढ़ी हुई पेय क्षमता के अंतर्गत अल्कोहल उत्पादन किये जाने से पूर्व मॉस-फ्लो मीटर तथा राडार बेस्ड लेबिल ट्रांसमीटर लगाना अनिवार्य होगा।

(3) आसवक द्वारा गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) प्रकरण में अग्रतर कार्यवाही करने से पूर्व आबकारी आयुक्त, उ.प्र. द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इकाई पर अद्यतन कोई राजस्व देयता/बकाया नहीं है।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राकेश कुमार सचान)
उप सचिव।

संख्याः21/2023/919(1)ई-2/तेरह-2023-400005,तद्दिनांक:-

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ.प्र. शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ.प्र. शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राकेश कुमार सचान)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**